

न्यायालय :- विशेष न्यायाधीश डकैती क्र०-2, भिण्ड जिला भिण्ड (म०प्र०)
(समक्ष :-म० शकील खॉन)

विशेष सत्र क्रमांक-61/2012 (डकैती)
Filing no.230301007362012
संस्थित दिनांक-10.09.2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र अमायन
जिला भिण्ड, म०प्र० -----अभियोगी

वि - रु - द्द

करु उर्फ कल्यान पुत्र सरमन सिंह
भदौरिया आयु-28 वर्ष निवासी ग्राम
सिरसी थाना अमायन जिला भिण्ड म०प्र०
-----अभियुक्त

अपराध अंतर्गत भा०दं०सं० की धारा-
394/397, 458 एवं म०प्र० डकैती एवं
व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981
की धारा-11,13 एवं आयुध अधिनियम की
धारा-25

(राज्य की ओर से श्री रविन्द्र नगाइच अतिरिक्त लोक अभियोजक)
(अभियुक्त करु सिंह की ओर से श्री विनोद दीक्षित अधिवक्ता)

—:: नि - र्ण - य ::—
(आज दिनांक **25.05.2018** को घोषित)

1. अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा-394/397, 458 एवं धारा-11, 13 म०प्र० डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 के तहत इस आशय का आरोप है कि दिनांक 15-16 जुलाई 2012 की दरम्यानी रात करीब 01:30 बजे प्रार्थिया लौंगश्री के मकान में लूट कारित करने के आशय से प्रवेश कर रात्रो प्रछन्न गृह अतिचार किया एवं प्रार्थिया को कट्टे के बट से मारपीट कर उपहति कारित कर उसके गले से सोने का मंगलसूत्र व कानों के सोने के बाला की लूट कारित की। अभियुक्त पर उक्त आरोप के अतिरिक्त धारा-25 आयुध अधिनियम के तहत इस आशय का आरोप है कि उसने बिना अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में एक 315 बोर का कट्टा व एक जिंदा कारतूस रखा।

2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थिया लौंगश्री पत्नी भागीरथ राठौर उम्र 55 साल निवासी ग्राम सिरसी ने दिनांक-18.07.2012 को थाना अमायन में इस आशय की लिखित रिपोर्ट प्र०पी०-9 पेश की कि दिनांक 15/16.07.2012 की दरम्यानी रात्रि करीब 01:30 बजे वह अपने घर के अंदर अकेली सो रही थी। रात्रि में दो व्यक्ति उसके घर में घुस आये। एक ने उसे दबाकर ढूसा मारे, वह

चिल्लाने लगी तो उसका मुंह बंद कर दिया। वह डर गयी। उसके कानों से सोने के बाला निकाल कर दूसरे व्यक्ति को दे दिया तथा उसके गले से मंगलसूत्र सोने का छीन लिया, तब दूसरे व्यक्ति ने उसे कट्टे के बट मारे, जिससे उसकी पीठ, कमर व मुंह में चोट आई। वे लूटकर भागने लगे तो उसने पहचान लिया। एक रघु गोली व दूसरा करु भदौरिया था। उसे दोनों धमकी दे गये कि चिल्लाई तो गोली मार देंगे, तब गांव के लोग भी जाग गये और उनका पीछा किया तो उन्होंने एक कट्टे से फायर किया। उस समय उसके लड़के ग्वालियर में थे। सुबह उसने अपने लड़के को सूचना दी तो उसका लड़का बृजेश आया और उसे घटना बतायी, फिर रिपोर्ट को आई, जिस पर से थाना अमायन के सहायक उपनिरीक्षक भगवानसिंह ने अपराध क्र०-39/2012 धारा-394, 397, 458 भा०दं०सं० एवं धारा-11,13 म०प्र०ड०व्य०प्र०क्षे० अधिनियम के तहत अभियुक्त रघु गोले व करु सिंह भदौरिया के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी०-7 लेखबद्ध की।

3. सहायक उपनिरीक्षक भगवान सिंह ने रिपोर्ट लेख करने के पश्चात् प्रार्थिया लौंगश्री की निशादेही पर घटना स्थल का नक्शामौका प्र०पी०-8 बनाया। प्रार्थिया लौंगश्री को मुलाहिजा हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मेहगांव भेजा गया। विवेचना के दौरान प्रार्थिया लौंगश्री, साक्षी मनफूले राठौर, पप्पू, बृजेश के कथन लेखबद्ध किये। सहायक उपनिरीक्षक भगवान सिंह ने विवेचना के दौरान दिनांक-19.07.2012 को अभियुक्त करु व रघु को गिरफ्तारी पत्रक प्र०पी०-4 व 5 के मुताबिक गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ की तो अभियुक्त रघु ने प्र०पी०-1 तथा अभियुक्त करु ने प्र०पी०-3 का मेमोरेण्डम कथन दिया। अभियुक्त करु ने मेमोरेण्डम कथन प्र०पी०-3 के आधार पर अपने घर के कमरे से एक जोड़ी सोने के बाला एवं एक 315 बोर का हाथ का बना कट्टा व कारतूस बक्से से निकालकर प्रस्तुत किया, जिसे सहायक उपनिरीक्षक भगवान सिंह ने जब्ती पंचनामा प्र०पी०-2 के मुताबिक जब्त किया। अभियुक्त रघु ने मेमोरेण्डम कथन प्र०पी०-1 के आधार पर अपने घर में रखे बक्से के अंदर से एक सोने का पैण्डल मंगलसूत्र निकाल कर पेश किया, जिसे सहायक उपनिरीक्षक भगवान सिंह ने साक्षीगण के समक्ष जब्ती पंचनामा प्र०पी०-6 के मुताबिक जब्त किया। जब्तशुदा मुद्देमाल की शिनाख्ती करवायी गयी। जब्तशुदा कट्टा व कारतूस की जाँच करायी गयी एवं जिला दण्डाधिकारी भिण्ड से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर विवेचना पूर्ण कर अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

4. अभियुक्त रघु उर्फ राधेश्याम गोली पुत्र मुकुट सिंह गोली निवासी ग्राम सिरसी थाना अमायन जिला भिण्ड म०प्र० के विरुद्ध पृथक से विचारण चल रहा है, जिससे यह निर्णय अभियुक्त करु सिंह के विरुद्ध पारित किया जा रहा है।

5. अभियुक्त पर कंडिका-1 के अनुसार आरोप लगाए गए। अभियुक्त ने जुर्म अस्वीकार किया, विचारण चाहा। धारा 313 दं०प्र०सं० के परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना और झूठा फसाये जाने का कथन किया है।

6. प्रकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न उद्भूत होते हैं कि :-

- (1) क्या दिनांक-15-16 जुलाई 2012 को मध्य प्रदेश डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम की धारा-3 के तहत जिला

भिण्ड में स्थित थाना अमायन के क्षेत्रांतर्गत स्थित ग्राम सिरसी अधिसूचित क्षेत्र था ?

- (2) क्या दिनांक 15-16 जुलाई 2012 की दरम्यानी रात करीब 01:30 बजे अभियुक्त ने प्रार्थिया लौंगश्री के घर में घुसकर रात्रो प्रछन्न गृह अतिचार कारित किया ?
- (3) क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने प्रार्थिया लौंगश्री की कट्टे के बट से मारपीट कर उपहति कारित कर उसके गले से सोने का मंगलसूत्र व कानों के सोने के बाला की लूट कारित की ?
- (4) क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने अपने आधिपत्य में बिना अनुज्ञप्ति के एक 315 बोर का कट्टा व कारतूस रखा ?

7. अभियोजन की ओर से साक्षी छोटेलाल (अ0सा0-1), बृजेश राठौर (अ0सा0-2), लौंगश्री (अ0सा0-3), डॉ० मनीष शर्मा (अ0सा0-4), रामलखन सोनी (अ0सा0-5), राजू शाक्य (अ0सा0-6), सुरेश दुबे (अ0सा0-7), अरविंद सिंह (अ0सा0-8) एवं भगवान सिंह (अ0सा0-9) को साक्ष्य में परीक्षित कराया है। अभियुक्त की ओर से बचाव में किसी भी बचाव साक्षी के कथन नहीं कराए गए हैं।

विचारणीय प्रश्न क0-1 का निराकरण :-

8. इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-7-8 1-बी-21 दिनांक 19 मई-1981 मध्यप्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र अध्यादेश 1981 (1981 का संख्या-5) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार मध्यप्रदेश के उच्चन्यायालय की सलाह से एतद्वारा अनुसूची के कॉलम-(2) में विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों की उक्त अनुसूची के कॉलम (3) के तत्संबंधी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट डकैती प्रभावित क्षेत्रों के संबंध में राजस्व जिला भिण्ड में मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम-1981 प्रभावशील है।

विचारणीय प्रश्न क0-2 लगायत 4 का निराकरण :-

9. लौंगश्री (अ0सा0-3) ने अपने कथन में बताया है कि वह अभियुक्तगण को नहीं जानती। करीब दो वर्ष पूर्व वह अपने घर में अंदर थी, तभी रात को 1 बजे के लगभग दो बदमाश उसके घर में घुस आये और उसकी मारपीट कर उसके गले से मंगलसूत्र एवं बाला सोने के लूट ले गये। वह बदमाशों को पहचान नहीं पायी थी। उसने अपने दामाद को घटना की खबर दी, तब उसका दामाद सुबह 7 बजे उसके घर पर आया था। फिर वह और दामाद थाने में रिपोर्ट करने गये थे। उसने अभियुक्तगण के नाम रिपोर्ट में नहीं लिखाये थे। उसने मौखिक रिपोर्ट की थी। अभियोजन ने साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे तो उसने इस बात से इंकार किया कि अभियुक्त करू उर्फ करन सिंह भदौरिया के विरुद्ध रिपोर्ट लेख करायी थी। उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0-7 का ए से ए भाग का अंश लेख

कराये जाने से इंकार किया। सहायक उपनिरीक्षक भगवान सिंह (अ0सा0-9) ने अवश्य कहा है कि प्रार्थिया ने थाने पर आकर लिखित रिपोर्ट प्र0पी0-9 प्रस्तुत की थी, प्र0पी0-7 में अभियुक्तगण का नाम लेख कराया था, परन्तु जैसा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट सारवान साक्ष्य नहीं होती। जैसा कि प्रार्थिया लौंगश्री (अ0सा0-3) ने बताया है कि वह अभियुक्तगण को पहचान नहीं पायी थी जिससे प्रार्थिया लौंगश्री (अ0सा0-3) के बयान से यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता कि अभियुक्त लूट कारित करने वालों में था।

10. साक्षी बृजेश सिंह राठौर (अ0सा0-2) ने अपने कथन में बताया है कि उसकी माताजी ने बताया था कि रघु और करु ने रात में आकर मारपीट की और सोने के बाला व सोने का पैडिल छुड़ा ले गये थे। जैसा कि लौंगश्री (अ0सा0-3) ने बताया है कि वह अभियुक्तगण को पहचान नहीं पायी थी, जिससे साक्षी बृजेश राठौर (अ0सा0-2) के बयान के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त लूट कारित करने वालों में था।

11. भगवान सिंह (अ0सा0-9) के अनुसार दिनांक-18.07.2012 को थाना अमायन में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ थे। उसने विवेचना के दौरान दिनांक-19.07.2012 को अभियुक्त करु को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0-4 बनाया था। अभियुक्त करु से पूछताछ की थी तो उसने बताया कि उसके हिस्से एक जोड़ी सोने के बाला एवं घटना में प्रयुक्त कट्टा 315 बोर का उसने अपने घर में बक्से में रख दिये हैं, चलो चलकर बरामद कराये देता हूँ, तब उसका मेमोरेण्डम प्र0पी0-3 लेख किया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके, डी से डी भाग पर अभियुक्त करु के तथा ए से ए भाग पर साक्षी छोटेलाल व बी से बी भाग पर साक्षी बृजेश के हस्ताक्षर हैं। अभियुक्त करु सिंह ने मेमोरेण्डम के बताये अनुसार अपने घर के कमरे से एक जोड़ी सोने के बाला व एक 315 बोर का हाथ का बना कट्टा व एक राउण्ड बक्से से निकालकर प्रस्तुत करने पर साक्षीगण के समक्ष जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र0पी0-2 बनाया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके, डी से डी भाग पर अभियुक्त करु के तथा ए से ए भाग पर साक्षी छोटेलाल राठौर के तथा बी से बी भाग पर साक्षी बृजेश के हस्ताक्षर हैं।

12. छोटेलाल (अ0सा0-1) ने बताया है कि अभियुक्त करु से उसके समक्ष पुलिस ने पूछताछ की थी तो उसने बताया था कि सोने के एक जोड़ी बाला उसके हिस्से में पड़े हैं तथा पैण्डल अभियुक्त रघु के हिस्से में पड़ा है। उसके बाद पुलिस ने उसका मेमोरेण्डम प्र0पी0-3 लेख किया था। पुलिस उसे अभियुक्त करु के घर ले गयी थी, वहां अभियुक्त ने सोने के बाला व कट्टा पुलिस को बरामद कराये थे। बृजेश राठौर (अ0सा0-2) ने भी बताया है कि पुलिस ने अभियुक्त करु को उसके सामने पकड़ा था। गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0-4 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियुक्त करु से पुलिस ने पूछताछ की थी। उसका मेमोरेण्डम प्र0पी0-3 बनाया था। पुलिस ने अभियुक्त करु से एक जोड़ी सोने के बाला व एक 315 बोर का कट्टा जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र0पी0-2 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

13. भगवान सिंह (अ0सा0-9) ने प्रतिपरीक्षण में पूछने पर बताया है कि वह आज नहीं बता सकता कि अभियुक्त करु उर्फ कल्यान के मकान का दरवाजा किस

दिशा में है और उसके मकान में कुल कितने कमरे बने हैं। साक्षी ने यह भी बताया है कि वह यह नहीं बता सकता कि अभियुक्त करू के अगल बगल में किस-किस के मकान हैं। साक्षी ने स्वीकार किया कि अभियुक्त करू के मकान में उसका परिवार रहता था। उसने इस बात से इंकार किया कि अभियुक्त करू ने उसे कोई बयान नहीं दिया और न ही उसने कोई कट्टा जब्त कराया और न ही सोने के बाला जब्त कराये। उसने इस बात से इंकार किया है कि उसने संपूर्ण विवेचना थाने पर बैठकर की।

14. मेमोरेण्डम प्र0पी0-3 व जब्ती पंचनामा प्र0पी0-2 के साक्षी छोटेलाल (अ0सा0-1), जो कि प्रार्थिया लौंगश्री का दामाद है एवं बृजेश राठौर (अ0सा0-2), जो कि प्रार्थिया लौंगश्री का पुत्र है। उक्त साक्षियों ने बताया है कि अभियुक्तगण पकड़े गये थे और पुलिस ने खबर की थी, तब थाने गये थे।

15. छोटेलाल (अ0सा0-1) ने बताया है कि वह दिनांक-19.07.2012 को दिन के 11 बजे पैदल चलकर थाने पहुंच गया था, वहां पर वह, अभियुक्तगण और अभियुक्तगण के साथ के लोग जिनमें रघु की माँ, सिरसी गांव के सरपंच उपस्थित थे। एक-डेढ़ घंटे में करू से कार्यवाही करके पूछताछ कर ली थी। 12 बजे से कार्यवाही करके डेढ़ बजे तक करू से कार्यवाही करके पुलिस निवृत्त हो गयी थी और डेढ़ बजे के बाद पुलिस ने अभियुक्त रघु के गिरफ्तारी एवं जब्ती पत्रक बनाकर 3 बजे निवृत्त हो गये थे। उक्त कार्यवाही के दौरान वह, अभियुक्त रघु की माँ, अभियुक्त के गांव के सरपंच, फिर कहा कि उसकी सास एवं बृजेश भी थाने पर उपस्थित थे। 3 बजे के बाद पुलिस अभियुक्तगण को जेल मेहगांव ले गयी थी और वह और उसका साला व उसकी सास घर चले गये थे एवं अभियुक्तगण के साथ के लोग कहां चले गये थे, उसे जानकारी नहीं है। उसके बाद वह सवा 3 बजे के करीब अपने घर पहुंच गया था एवं बृजेश एवं उसकी सास अपने गांव सिरसी चले गये थे। छोटेलाल (अ0सा0-1) ने पैरा-5 में बताया है कि पुलिस ने उक्त पूरा सामान अभियुक्तगण से थाने पर ही लेकर अदालत में भिजवा दिया था। साक्षी ने स्वतः कहा कि उक्त सामान अभियुक्त से भिण्ड अदालत में ही बरामद हुआ था। उसने यह भी बताया है कि दिनांक-17.07.2012 को वह सुबह अमायन आ गया था और उसके बाद वह सिरसी में घटना के 8-10 दिन बाद गया था। साक्षी ने स्वतः कहा कि जब अभियुक्तगण जेल पहुंच चुके थे, तब ग्राम सिरसी गया था। साक्षी ने पैरा-6 में बताया है कि पुलिस लिखा पढ़ी करने के बाद उससे कागजों पर हस्ताक्षर करने को कहती रही, वहां-वहां उसने हस्ताक्षर कर दिये। इस साक्षी के संपूर्ण कथन को देखा जाये तो उससे यह प्रकट नहीं होता है कि अभियुक्त करू से उसके मकान से सोने के जेवर तथा 315 बोर का कट्टा व कारतूस जब्त किया गया। साक्षी ने पैरा-7 में यह भी बताया है कि उसके सामने पुलिस अभियुक्तगण को पकड़े हुयी थी और मारपीट कर रही थी, जिससे यह प्रकट होता है कि पुलिस ने अभियुक्तगण की मारपीट की, जिससे अभियुक्त करू द्वारा जो प्र0पी0-3 का मेमोरेण्डम दिया गया है, उसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा-24 के तहत पुलिस द्वारा मारपीट कर बयान लिखे जाने से उक्त बयान सुसंगत भी नहीं है।

16. बृजेश राठौर (अ0सा0-2) ने पैरा-5 में बताया है कि पुलिस ने अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर उनसे माल बरामद कर लिया था, उसके बाद उन्हें खबर दी थी कि माल पहचान लो, तुम्हारा ही है क्या, तब वह, उसकी माँ व उसके

बहनोई छोटेलाल थाने गये थे। साक्षी ने पैरा-6 में बताया है कि बरामद सामान पुलिस ने उसे थाने पर दिखाया था। साक्षी ने स्वीकार किया है कि गिरफ्तारी, जब्ती व मेमोरेण्डम पर पुलिस ने थाने पर ही हस्ताक्षर कराये थे, जिससे इस साक्षी के बयान से यह प्रकट होता है कि उसके सामने पुलिस ने अभियुक्त करू से माल बरामद नहीं किया था, जिससे इस साक्षी के बयान से भी विवेचना अधिकारी भगवान सिंह के कथन का समर्थन नहीं होता है।

17. जैसा कि विवेचना अधिकारी भगवान सिंह (अ0सा0-9) अपने कथन में यह भी नहीं बता पाया है कि अभियुक्त करू के मकान का दरवाजा किस दिशा में है और उसके मकान के अगल बगल किस-किस के मकान बने हुये हैं और उसके मकान में कुल कितने कमरे हैं, जिससे साक्षी द्वारा उक्त तथ्यों को न बता पाने से यह संदेह उत्पन्न होता है कि अभियुक्त करू के मेमोरेण्डम के आधार पर अभियुक्त करू के मकान से सोने के बाला एवं 315 बोर का कट्टा व कारतूस जब्त किये गये थे, जिससे उपरोक्त अभियोजन साक्ष्य विवेचन से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि भगवान सिंह (अ0सा0-9) ने अभियुक्त करू के मेमोरेण्डम प्र0पी0-3 के आधार पर उससे सोने के बाला एवं 315 बोर का कट्टा व कारतूस जब्त किया था

18. अभियोजन की ओर से साक्षी डॉ0 मनीष शर्मा (अ0सा0-4) को साक्ष्य में पेश किया गया है, उन्होंने आहत लौंगश्री का मेडीकल परीक्षण कर रिपोर्ट प्र0पी0-12 दी है, जिससे उनके बयान से यह प्रमाणित होता है कि आहत लौंगश्री को घटना दिनांक को चोट आई थी। राजू शाक्य (अ0सा0-6) ने बताया है कि तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी द्वारा अभियुक्त करू सिंह के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति प्र0पी0-13 दी गयी थी। सुरेश दुबे (अ0सा0-7) ने थाना अमायन के अपराध क्र0-39/2012 में जब्तशुदा कट्टे की जाँच कर प्रतिवेदन प्र0पी0-16 दिया है। अरविंद सिंह (अ0सा0-8) अभियुक्त रघु से संबंधित साक्षी है, जिससे उक्त साक्षियों की साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त करू ने अन्य अभियुक्त के साथ मिलकर लूट कारित की।

19. उपरोक्त अभियोजन साक्ष्य विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त करू ने सहअभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक 15-16 जुलाई 2012 की दरमियानी रात करीब 01:30 बजे प्रार्थिया लौंगश्री के मकान में लूट कारित करने के आशय से प्रवेश कर रात्रो प्रछन्न गृह अतिचार किया एवं प्रार्थिया को कट्टे के बट से मारपीट कर उपहति कारित कर उसके गले से सोने का मंगलसूत्र व कानों के सोने के बाला की लूट कारित की तथा बिना अनुज्ञप्ति के कट्टा व कारतूस अपने आधिपत्य में रखा। अतः यह न्यायालय अभियुक्त करू उर्फ कल्यान सिंह को भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा-394/397, 458 एवं धारा-11, 13 म0प्र0 डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 के आरोप से दोषमुक्त करता है। अभियुक्त के जमानत मुचलके भारहीन किये जाते हैं। अभियुक्त द्वारा न्यायिक निरोध में व्यतीत की गई अवधि को दर्शित करने के लिये पृथक से ज्ञापन बनाया जावे।

20. जैसा कि प्रकरण में अन्य अभियुक्त रघु उर्फ राधेश्याम गोली पुत्र मुकुट सिंह गोली निवासी ग्राम सिरसी थाना अमायन जिला भिण्ड म0प्र0 का

// 7 //

विचारण पृथक से किया जा रहा है, जिससे जप्तशुदा मुद्देमाल सुरक्षित रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

(मो० शकील खॉन)
विशेष न्यायाधीश (डकैती),
क्र०-2 भिण्ड म०प्र०
दिनांक:-25.05.2018

(मो० शकील खॉन)
विशेष न्यायाधीश (डकैती),
क्र०-2 भिण्ड म०प्र०